क्रमांक.............

निविदा फार्म मूल्य 1000.00 रू0 जी0एस0टी0 सहित

ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा
निविदा प्रपत्र
लेबर कान्ट्रेक्ट कार्य हेतु–(तकनीकी बिड)–01

निविदादाता का फोटो

1– निविदादाता का नामः– ....

2– निविदादाता का पताः–..

....

(क)– स्थाई पताः–...

....

(ख)– पत्राचार का पताः–..

....

तकनीकी बिड में निम्न प्रपत्र संलग्न करने आवश्यक हैः–

3– श्रम विभाग उत्तराखण्ड का पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।

4– भविष्यनिधि कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।

5– जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।

6– ई0एस0आई0 पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

7– पैन कार्ड एवं विगत तीन वर्षो का आयकर रिर्टन की छाया प्रति संलग्न करें।

8– सक्षम अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।

9– कार्य अनुभव प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियॉ संलग्न करें।

10– कामगारों हेतु श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेश / संस्था द्वारा देय जो भी अधिक हो, के अनुसार ही दरे मान्य होगी।

11– निविदा क्रय हेतु जमा की गयी धनराशि की रसीद का विवरण–(मूल प्रति संलग्न करें)
संख्या......................दिनांक.........................धनराशि.................................

12– निविदा के समक्ष अर्नेस्ट मनी का विवरण–(मूल प्रति संलग्न करें)
ड्राफ्ट संख्या / रसीद संख्या.................................दिनांक..........................धनराशि........................

13– निविदा कोरियर / पंजीकृत अथवा निविदा पेटिका में डाले जाने पर ही मान्य होगी।

14– निविदादाता द्वारा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट शब्दों में **लेबर कान्ट्रेक्ट हेतु निविदा अंकित की जाय।**

निविदा हेतु शर्ते संलग्न है।

दिनांकः–........................

स्थानः–..........................

हस्ताक्षर निविदादाता

निविदादाता का नामः–......................................

पिता का नामः–..

पूरा पता :–...

फर्म का नामः–..

मो0 / फोन न0...

क्रमांक............

ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा
निविदा प्रपत्र

लेबर कान्ट्रेक्ट कार्य हेतु–(वित्तीय बिड)–02

1– निविदादाता का नामः–...

....

2– निविदादाता का पताः–...

....

(अ) स्थाई पताः–...

(ब) पत्राचार का पताः–...

....

03–सर्विस चार्जेज की दरें (प्रतिशत में)

(अंकों में)–...

(शब्दों में)–...

दिनांकः–........................

स्थानः–..........................

हस्ताक्षर निविदादाता

निविदादाता का नामः–.....................................

पिता का नामः–...

पूरा पता :–..

फर्म का नामः–..

मो0/फोन न0..

उधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा
श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित शर्ते

(निविदा लिफाफे के ऊपर निविदादाता का नाम व पता तथा संदर्भित कार्य का उल्लेख किया जाये।)

01– यह कि निविदा टू–बिड सिस्टम के आधार पर सम्पन्न की जायेगी, निविदादाता को एक लिफाफे में तकनीकी बिड रखी जानी है उसमें तकनीकी बिड लिखा जायें तथा दूसरे लिफाफे में वित्तीय बिड रखकर उस लिफाफे के ऊपर वित्तीय बिड लिखा जायें एवं दोनों लिफाफों को अलग–अलग बन्द कर बडे लिफाफे में पुनः बन्द कर निविदा देनी होगी। तकनीकी बिड में समस्त शर्ते पूर्ण होने पर ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।

02– यह कि निविदा निष्पादन के उपरान्त किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विवाद का अन्तिम निर्णय निदेशक/निबन्धक डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड/दुग्ध सहकारी समितियॉ उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल) का होगा, जो दोनो पक्षों को मान्य होगा।

03– यह कि उत्तराखण्ड शासन श्रम एवं सेवायोजन विभाग संख्या–289/VIII-1/24–228 (श्रम)/2001–पार्ट–II दिनांक–15 मार्च, 2024 का अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

04– यह कि यू0सी0डी0एफ0 की वैबसाइट www.ucdfaanchal.org से निविदा पत्र डाऊन लोड करने पर मु0–1000.00 रू0 बैंक ड्राफ्ट उधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा के नाम से संस्था के पक्ष में देय हो पृथक से संलग्न करना होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

05– यह कि प्रधान प्रबन्धक उधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा जिसे आगे प्रथम पक्ष कहा जायेगा, एवं सम्बन्धित निविदादाता को जिसे आगे द्वितीय पक्ष कहा जायेगा।

06– यह कि जिस निविदादाता की दरें स्वीकृत की जायेगी, उस द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष की नाममात्रिक की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। जिसके लिए **मु0–25.00 रू0 (पच्चीस रूपया)।** सदस्यता शुल्क संस्था के कोशागार में नगद जमा करेगा।

07– यह कि निविदादाता द्वारा **मु0–10,000.00 रू0** (दस हजार रूपया) अर्नेस्टमनी के रूप में संघ कोशागार में जमा कर रसीद की छाया प्रति फार्म के साथ संलग्न करनी होगी। बैंक ड्राफ्ट होने की स्थिति में ड्राफ्ट की मूल प्रति संलग्न करनी होगी। अन्यथा निविदा फार्म पर विचार नही किया जायेगा।

08– यह कि निविदा के साथ निविदादाता को जिला मजिस्ट्रेट या उनके प्रतिनिधि द्वारा जारी किया गया, चरित्र प्रमाण पत्र एवं एक पासपोर्ट साईज की स्वं प्रमाणित फोटो निविदा के साथ संलग्न करनी होगी एवं पैन कार्ड की छाया प्रति स्वं प्रमाणित निविदा के साथ संलग्न करना अनवार्य है।

09– यह कि सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्योग (एम0एस0एम0ई0) में रजिस्टर्ड फर्मो को उत्तराखण्ड शासन की क्रय वरीयता नीति 2019–शासनादेश सं0 1542/VII-3-19/143–उद्योग/2003 दिनांक 20 अगस्त, 2019 की शर्तो के अनुरूप निविदा में छूट प्रदान की जायेगी। पंजीकृत फर्म/निविदादाता को तत्सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध कराना होगा।

10– यह कि निविदादाता का श्रम संविदा अधिनियमों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासन के **श्रम विभाग में पंजीकरण** होना अनिवार्य है तथा वांछित लाईसेन्स जो वैद्य हो, उसकी स्वं प्रमाणित छाया प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी । जिसकी मूल प्रति अनुबन्ध के समय प्रस्तुत करनी होगी।

11– यह कि द्वितीय पक्ष को **कर्मचारी भविष्य निधि(ई0पी0एफ0) कार्यालय उत्तराखण्ड** में पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वं प्रमाणित छाया प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी। जिसकी मूल प्रति अनुबन्ध के समय प्रस्तुत करनी होगी एवं कार्य अनुभव प्रमाण पत्र की स्वं प्रमाणित छाया प्रति निविदा प्रपत्र के संलग्न करनी होगी।

12– यह कि द्वितीय पक्ष को **जी0एस0टी0** विभाग में पंजीकरण एवं ई0एस0 आई0 पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वं प्रमाणित छाया प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

13– निविदादाता के बिल से आयकर की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

14– यह कि निविदादाता द्वारा श्रमिकों का निर्धारित ई0पी0एफ0, ई0पी0एफ0 कार्यालय में जमा करना होगा तथा प्रत्येक माह श्रमिकों के ई0पी0एफ0 जमा की रसीद श्रमिकों को उपलब्ध करायी जायेगी। निविदादाता द्वारा बिल के साथ पिछलें महीने के ई0पी0एफ0 जमा रसीद के साथ फर्म न0–31/ई0सी0आर0 की प्रति भी उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी, ऐसा न करने की स्थिति में संस्था द्वारा अनुबन्ध को कभी भी समाप्त करने का अधिकार होगा।

15– यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा मासिक रूप से कार्मिको को ई0पी0एफ0 मद में कर्मचारीवार जमा की गयी धनराशि का विवरण की एक प्रमाणित प्रति प्रशासन अनुभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

16– यह कि निविदादाता द्वारा निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में या श्रमिक न दिये जाने की स्थिति में संस्था द्वारा पृथक से लगाये गये श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की धनराशि निविदादाता के बिल से कटौती कर ली जायेगी।

17– यह कि संस्था के कार्यरत प्रतिनिधि जैसे सुपरवाईजर/प्रभारी के निर्देशों का पालन निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिकों को करना होगा यदि निविदादाता के श्रमिक किसी भी प्रकार के निर्देशों की अवहेलना करते है या अभद्र व्यवहार करते है तो इस संस्था द्वारा सम्बन्धित श्रमिक को प्रथम बार अभद्र व्यवहार करने पर 10.00 रू0 के स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र नोटरी करवाकर प्रस्तुत करनी होगी, द्वितीय बार ऐसी पुनरावृत्ति करने पर संस्था द्वारा कार्य से पृथक कर दिया जायेगा, जिसे निविदादाता द्वारा मानना अनिवार्य होगा।

18– यह कि निविदादाता द्वारा श्रमिकों पर पूर्ण नियंत्रण रखना होगा दिन एवं रात्रि पाली में अपने श्रमिकों का पर्यवेक्षण, कार्य आवंटन, कार्य का अनुश्रवण नियमित रूप से करना होगा तथा अपने श्रमिको को प्रत्येक पाली में कार्य के लिए प्रेरित करना होगा । श्रमिकों को अपने कार्य स्थल पर 08 घन्टे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा नियमानुसार भोजन अवकाश दिया जायेगा।

19– यह कि निविदादाता के किसी भी श्रमिक द्वारा लापरवाही करने, चोरी करने अथवा संस्था की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने की दशा में उस श्रमिक को निविदादाता द्वारा तत्काल कार्य से पृथक करना होगा तथा निविदादाता के श्रमिक द्वारा की गई क्षति की पूर्ति का 10 गुना धनराशि की वसूली संस्था द्वारा निविदादाता के देय बिल से कटौती कर ली जायेगी।

20– यह कि निविदादाता की निविदा दर समान होने पर निविदा निम्नवत निस्तारित की जायेगी।

प्रथम वरीयता डेरी व्यवसाय में कार्यरत अनुभवी फर्म को वरीयता दी जायेगी।

द्वितीय वरीयता टर्न ओवर विगत वर्ष के आधार पर फर्म को वरीयता दी जायेगी।

तृतीय वीरीयता लाटरी सिस्टम द्वारा फर्म को वरीयता दी जायेगी।

21– यह कि निविदादाता को अपने श्रमिको को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत प्रचलित स्वीकृत दरों अथवा संस्था द्वारा दी जा रही दरों पर भुगतान नियमानुसार समय से बैंक खाते के माध्यम से करना होगा। जो कि निविदादाता द्वारा श्रमिकों की सूची के साथ उनके पहचान पत्र व अन्य दस्तावेजों के साथ संस्था को साक्ष्य एवं हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराया जायेगा। निविदादाता द्वारा प्रत्येक माह श्रमिको का बिल माह के अन्त के बाद आगामी माह की 05 तारीख तक भुगतान हेतु नियमित रूप से उपलब्ध कराना होगा।

22– यह कि निविदादाता द्वारा अपने श्रमिकों की दैनिक उपस्थिति, साप्ताहिक अवकाश आदि का विवरण प्रपत्र 12 पर रखना होगा । जिस पर श्रमिकों के हस्ताक्षर हों।

23– यह कि निविदादाता द्वारा लेवर एक्ट के अन्तर्गत आने वाले वैधानिक अभिलेख नियमित रूप से रखने होगें तथा श्रम विभाग के नियमों का अक्षरतः पालन करना होगा।

24– यह कि निविदादाता द्वारा इस संस्था को उपलब्ध कराये गये श्रमिकों की किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की दशा में पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा तथा श्रमिक की क्षति पूर्ति निविदादाता को वहन करनी होगी।

25–यह कि निविदादाता द्वारा श्रमिकों से संस्था के अनुबन्धित कार्यो को करवाने का समस्त वैधानिक क्लेम जैसे दुर्घटना, दुर्घटना बीमा, बोनस, ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 / ग्रुप इन्श्योरेन्स आदि जो भी सरकार द्वारा निर्धारित होगा, निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा उसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। निविदादाता द्वारा लगाये गये श्रमिकों का ई0पी0एफ0 मध्य नियोक्ता अंशदान आदि का भुगतान संस्था द्वारा वहन किया जायेगा तथा इससे सम्बन्धित समस्त रिकार्ड निविदादाता द्वारा रखा जायेगा।

26– वार्षिक कार्य की अनुमानित धनराशि मु0–1,52,00,000.00(एक करोड बावन लाख रूपया) (समस्त करों सहित) है।

27– यह कि निविदादाता द्वारा जमानत की धनराशि मु0–2,00,000.00रू0(दो लाख रूपया) नगद संस्था के कोषागार में जमा करनी होगी। जिसे अनुबन्ध पूर्ण होने के एक वर्ष या आडिट जो भी पहले हो के बाद वापस किया जायेगा।

28– यह कि निविदादाता द्वारा संस्था में आवंटित कार्यो के सम्पादन में लगाये गये श्रमिको की सूची प्रत्येक माह प्रशासन अनुभाग को दी जायेगी।

29– यह कि निविदादाता द्वारा संस्था में कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये श्रमिक किसी भी यूनियन, ट्रेड यूनियन का सदस्य नही होगा निविदादाता इस आशय का भापथ पत्र संस्था को उपलब्ध करायेगा, निविदादाता का संस्था में कार्यरत श्रमिक किसी भी यूनियन का सदस्य होने पर, यह अनुबन्ध समाप्त किये जाने का पूर्ण अधिकार संस्था को होगा तथा श्रमिकों के दस्तावेजों के साथ इस वावत एक शपथ पत्र भी प्रत्येक श्रमिक से निविदादाता उपलब्ध करायेगा।

30– यह कि निविदादाता को खटीमा स्थित दुग्धशाला, कार्यालय एवं जनपद के विभिन्न अवशीतन केन्द्र एवं विक्रय केन्द्र के लिये समय–समय पर आवश्यकतानुसार विभिन्न श्रेणियों के श्रमिक की मांग अनुसार श्रमिक प्रातः एवं रात्रि पाली में उपलब्ध कराने होगें । संस्था हित में किसी भी श्रमिक से संस्था के कार्य क्षेत्र में कार्य लिया जा सकता है, जो निविदादाता को मान्य होगा।

31– यह कि निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिकों का भुगतान प्रस्तुत किये गये बिलों के आधार पर करेगा। इस सम्बन्ध में किसी भी श्रमिक का कोई भी सम्बन्ध संस्था से नही

रहेगा, निविदादाता प्रत्येक माह संस्था को यह प्रमाण पत्र अवश्य देगा कि उसके किसी भी श्रमिक को कोई वेतन अथवा बकाया धन उस पर अदा करने को बकाया नही है तथा निविदादाता द्वारा कार्य पर नियोजित कोई भी श्रमिक किसी भी योजना के लिये संस्था का कर्मचारी नही माना जायेगा।

32– यह कि निविदादाता का यदि कार्य समाप्त हो रहा है अथवा अपने अनुबन्ध के अनुसार कार्य करने में असमर्थ हो रहा हो अथवा इस अनुबन्ध में किसी भी उपबन्धों अथवा ठेके पर लागू होने वाली किन्ही शर्तो का पालन न कर रहा हो तो इस स्थिति में संस्था को पूर्ण अधिकार होगा कि वह कान्ट्रेक्ट के अन्तर्गत अन्य किसी भी अधिकारों अथवा उपबन्धों में प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह अनुबन्ध तुरन्त समाप्त कर दिया जायेगा।

33– यह कि निविदादाता द्वारा संस्था के कारखाना अनुभाग एवं अवशीतन केन्द्रों हेतु उपलब्ध कराये गये सभी श्रमिकों को स्काई ब्लू कलर की स्वच्छ टेरीकोट यूनीफार्म जिसमें हाफ शर्ट, पैन्ट व गोल कैप या फुल पैन्ट फुल शर्ट व गोल कैप एवं सैफ्टी सूज उपलब्ध कराना होगा, इसके अभाव में श्रमिकों को ड्युटी पर नही लिया जायेगा। श्रमिकों को निर्धारित यूनीफार्म में ही कार्य करना होगा। यूनीफार्म की व्यवस्था निविदादाता द्वारा की जानी होगी, जिसमें ऑचल ब्राण्ड लोगो लगाना अनिवार्य होगा।

34– यह कि निविदादाता की निर्धारित अर्हता (तकनीकी/वित्तीय) पूर्ण न होने की स्थिति में निविदा स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

35– यह कि संदर्भित कार्य की **अवधि एक वर्ष तक** होगी, परन्तु आवश्यकता पडने पर इस अवधि को प्रथम पक्ष द्वारा **तीन–तीन माह के लिये दो बार बढाई** जा सकती है, जिसे द्वितीय पक्ष को मानना अनिवार्य होगा।

36– यह कि निविदादाता अपना एक अधिकृत प्रतिनिधि 24 घन्टे संस्था के मुख्यालय खटीमा में उपलब्ध करायेगा। जिससे संस्था अथवा उसका कोई प्रतिनिधि किसी समय पर उसे उचित निर्देश दे सके, ताकि दुग्ध संघ के किसी कार्य में किसी भी समय श्रमिक उपलब्ध न होने से बाधा उत्पन्न न हो।

37– यह कि यदि कोई श्रमिक मादक पदार्थो(बीडी, सिगरेट,गुटखा, शराब) का सेवन करते हुये पाया जाता है या गेट में सुरक्षा गार्ड द्वारा चैकिगं के दौरान उसके पास से मादक पदार्थ मिलते है तो उस श्रमिक को पृथक किया जाना होगा तथा उसके स्थान पर दूसरा श्रमिक उपलब्ध कराना होगा।

38– यह कि निविदा जमा करने की तिथि तक भविष्यनिधि तथा जी0एस0टी0 में पंजीकरण एंव पैनकार्ड की छाया प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, न होने की स्थिति में निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

39– ''यदि कोई निविदादता शून्य शुल्क (निल चार्जेज) अंकित करता है तो उस निविदा को गैर–प्रतिक्रियाशील मानते हुए स्वीकार नही किया जायेगा''। मैनपावर निविदा के संदर्भ में सर्विस चार्जेज की दर, सेवाओं के मूल्य का न्यूनतम 2.50 प्रतिशत ही मान्य होगा।

40– यह कि निविदादाता फर्म में एक से ज्यादा साझीदार होने पर निविदा के साथ साझीदार एग्रीमेन्ट की छाया प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

41– यह कि निविदा प्रपत्र के साथ लगाये गये समस्त रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति तथा साझीदार एग्रीमेन्ट की छाया प्रति स्वयं के हस्ताक्षरों से प्रमाणित करना अनिवार्य है।

42– यह कि निविदा प्रपत्र के साथ यदि निविदादाता द्वारा असत्य प्रपत्र लगाये जाते है तो संस्था द्वारा निविदादाता की अर्नेस्टमनी/जमानत राशि को जब्त कर लिया जायेगा। साथ ही निविदादाता को प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा।

43– यह कि निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिक जो संस्था की दुग्धशाला में कार्यरत है की उपस्थिति गेट पर लगी फेस बायोमट्रिक मशीन से लगानी होगी इसी के आधार पर उपस्थिति प्रमाणित होगी।

निविदादाता की घोषणा

लेवर कान्ट्रैक्ट हेतु प्रकाशित निविदा सूचना के संदर्भ में मेरे द्वारा निविदा फार्म के साथ संलग्न निर्धारित शर्तो को भली भांति पढ लिया गया है। मैं निविदा की शर्तो के अनुसार श्रमिक उधमसिहंनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा में लगाने तथा अनुबन्ध करने के लिए सहमत हूॅ।

उपर्युक्त प्रविष्टियॉ मैंने स्वयं भरी/भरवायी है, और मेरी जानकारी में पूर्ण रूप से सही हैं। यदि कोई भी सूचना/सूचनाये गलत पायी जाती हैं, तब संस्था को निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।

निविदादाता के हस्ताक्षर ....

निविदादाता का नाम ....

पूरा पता..

....

....